संख्या– /जी0एस0/शिक्षा/A3-80/2019

प्रेषक,

रमेश कुमार सुधांशु,
कुलाधिपति के सचिव।

सेवा में,

कुलसचिव,
कुमाऊँ विश्वविद्यालय,
नैनीताल।

राज्यपाल/कुलाधिपति सचिवालय उत्तराखण्ड **देहरादून : दिनांक : 7 अक्टूबर, 2019**

महोदय,

कृपया अपने पत्र संख्या : मान्यता/सम्बद्धता/2019/432 दिनांक 29 जून, 2019 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें यह अवगत कराते हुए कि पाठ्यक्रम को शुरू करने हेतु सभी संसाधन पूर्ण कर लिए व मध्य सत्र में सम्बद्धता प्राप्त होने के कारण सत्र 2018–19 में प्रश्नगत पाठ्यक्रम संचालित नहीं हो सका इस क्रम में छात्रहित के दृष्टिगत राजकीय महाविद्यालय, टनकपुर, चम्पावत में पी0जी0 डिप्लोमा इन योगा पाठ्यक्रम को सत्र 2019–20 हेतु संचालित करने की अनुमति/सम्बद्धता प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

2– उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम–1973 (यथा प्रवृत्त उत्तराखण्ड राज्य) की धारा–37 (2) के अन्तर्गत मा0 कुलाधिपति महोदया द्वारा उक्त संस्थान को **पी0जी डिप्लोमा इन योगा** पाठ्यक्रम में 60 सीट के साथ सत्र 2019–20 हेतु पूर्व स्वीकृति/पूर्वानुमोदन इस उपबन्ध के साथ प्रदान कर दी गई है कि विद्यालय यू0जी0सी0 के सभी मानकों को पूर्ण करेगा एवं विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद यू0जी0सी0 के मानकों के पूर्ण होने की दशा में सत्र 2019–20 की अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण का आदेश जारी करेगी व विश्वविद्यालय फैकल्टी अनुमोदन प्रमाण पत्र स्वयं यू0जी0सी0 विनियम–2009 के प्रस्तर 3.4.7 के अनुसार जारी करेगा।

3– तत्क्रम में इस सचिवालय के पत्रांक संख्या 4814/जी0एस0/शिक्षा/A3–80/2019 दिनांक 25 मार्च, 2019 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाए।

4– तदनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(रमेश कुमार सुधांशु)
कुलाधिपति के सचिव।

संख्या 2480 (1)/जी0एस0/शिक्षा/ A3-80 /2019 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा, हल्द्वानी।
3. प्राचार्य, सम्बन्धित महाविद्यालय।
4. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ/गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से,

(विक्रम सिंह यादव)
कुलाधिपति के संयुक्त सचिव।